



झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

आवंटनादेश सं.-08/वि.स्था.आ.(स्थानीय आपदा)-05/2026-24(आ०)/आ०प्र०, राँची दिनांक-21.07.2026

प्रेषक,

विप्रा भाल, भा०प्र०से०
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
गढ़वा एवं सिमडेगा।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्य शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत अंतर्गत राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा-अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा) से होनेवाले जानमाल की क्षति, सर्पदंश, खनन् जनित आपदा, रेडियेशन संबंधी आपदा, पानी में डूबने, भगदड़ एवं गैस रिसाव तथा सड़क दुर्घटना एवं आँधी-तूफान तथा ग्रीष्म लहर से मृत व्यक्ति के आश्रित/हकदार को अनुग्रह अनुदान भुगतान के निमित्त राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से कुल राशि 2,22,24,000/- (दो करोड़ बाईस लाख चौबीस हजार) रुपये मात्र का आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग - विभागीय स्वीकृत्यादेश सं.-42(स्वी.) दिनांक-08.06.2026

महाशय,

उक्त आवंटित राशि वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-285/बजट, दिनांक-25.03.2026 के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निम्न वर्णित बजट शीर्ष के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा :-

बजट शीर्ष	आवंटित राशि (रुपये में)
मुख्यशीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य लघुशीर्ष-102-विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध, उपशीर्ष-01- विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध, विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय, ईकाई-59-अन्य व्यय, (विपत्र कोड-39-S-2245-80-102-01-00-07-59)	2,22,24,000 / - (दो करोड़ बाईस लाख चौबीस हजार) रुपये मात्र।

2. यह आवंटन राज्य कार्यकारिणी समिति की दिनांक-15.06.2026 को सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णय-01 के आलोक में प्रदान की जा रही है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है -

क्र०	जिला का नाम	पत्रांक/दिनांक	राशि
1	गढ़वा	62/16.05.2026	1,11,91,500
2	सिमडेगा	807(ii)/09.07.2026	1,10,32,500
कुल			2,22,24,000

21/7/2026

आवंटनादेश संख्या-08/वि.स्था.आ.(स्थानीय आपदा)-05/2026-24/आ.प्र.0, राँची दिनांक-21.07.2026

3. उक्त आवंटित राशि विभागीय संकल्प सं०-969 दिनांक-25.10.2018, संकल्प संख्या-184, दिनांक-13.03.2021, संकल्प-186, दिनांक-06.03.2023 एवं संकल्प सं०-223 दिनांक-26.03.2025 के आलोक में राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा- अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा) से होनेवाले जानमाल की क्षति, सर्पदंश, खनन् जनित आपदा, रेडियेशन संबंधी आपदा, पानी में डूबने, भगदड़ एवं गैस रिसाव तथा सड़क दुर्घटना एवं आँधी-तूफान तथा ग्रीष्म लहर से मृत व्यक्ति के आश्रित/हकदार को अनुग्रह अनुदान का भुगतान तत्समय लागू भारत सरकार द्वारा निर्गत राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के मानकों एवं मद-मानदण्ड के अनुरूप की जायेगी।
4. आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित उपायुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा संबंधित जिला कोषागार से राशि की विधिवत् निकासी की जायेगी।
5. संबंधित उपायुक्त भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रसंगाधीन भुगतान यथा निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जा रहा है। कोई A.C. bill सृजित नहीं किया जायेगा।
6. आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय निर्धारित मद-मापदण्डों के अनुसार उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिए राशि आवंटित की जा रही है।
7. अनुग्रह अनुदान का भुगतान आश्रित/लाभुक के बैंक खाते में NEFT/RTGS/DBT के माध्यम से किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।
8. आवंटित राशि के व्यय हेतु झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के नियम 174 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा। राशि कोषागार से निकालकर किसी भी परिस्थिति में बैंक खाते में नहीं रखा जाय।
9. किसी भी परिस्थिति में इस राशि का विचलन नहीं किया जायेगा। राशि की निकासी के तुरंत बाद विहित प्रपत्र में विवरणी विभाग को समर्पित की जायेगी। राशि की निकासी नहीं होने की स्थिति में राशि का प्रत्यर्पण वर्षात के पूर्व ऑन-लाईन करने का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।
10. (i) उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार राशि की निकासी एवं व्यय पर नियंत्रण रखेंगे।
(ii) व्यय के पश्चात् विभाग को विहित पत्र GFR19-A में संबंधित उपायुक्त के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जायेगा।
(iii) आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाय अन्यथा लेखा ऑकड़ों में वर्गीकरण त्रुटियों की जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
(iv) महालेखाकार से मासिक/त्रैमासिक एवं वार्षिक लेखा सत्यापन का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।
11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी होगी कि यदि ऐसी कोई योजना या कार्य के विरुद्ध राशि व्यय की जा रही है, जिसे किसी दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही हो तो उस राशि की निकासी को रोक कर इसके निराकरण हेतु अविलम्ब सूचना संबंधित पदाधिकारी तथा विभाग को देंगे।


21/07/2026

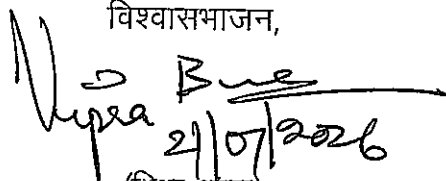
12. आवंटित राशि के व्यय के क्रम में -

- (i) वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों/संकल्पों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।
- (ii) Treasury Code, झारखण्ड वित्तीय नियमावली, वित्त विभाग तथा मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा समय-समय पर तत्संबंधित निर्गत विभिन्न परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13. (i) स्रोत पर टैक्स कटौती में वित्त/वित्त (वाणिज्यकर) विभाग/आयकर अधिनियम इत्यादि की शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

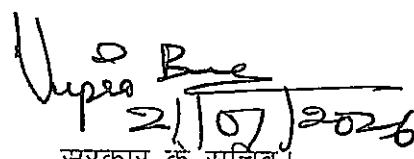
- (ii) अभिलेखों को अंकक्षण हेतु सुरक्षित रखा जायेगा।

14. प्रसंगाधीन स्वीकृत्यादेश के सभी शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

 21/07/2026
 (विप्रा भाल)
 सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:-08/वि.स्था.आ.(स्थानीय आपदा)-05/2026-~~24(आ०)~~आ०प्र०, राँची दिनांक ~~21.07.2026~~

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले. एवं हक.), झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन प्रभाग/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, प्रशाखा-12 (स्टेट पोर्टल पर अपलोड हेतु), गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड, राँची एवं संबंधित प्रशाखा-08, आपदा प्रबंधन प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 21/07/2026
 सरकार के सचिव।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Home, Jail and Disaster Management Department (Disaster Management D

चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु निम्नलिखित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 05/2026/24(AA)

दिनांक - 21-Jul-2026

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 39 22458010201000759 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 80 - सामान्य 102 - विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं 01 - विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध 00-NA 07 - अन्य व्यय Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	45276	GRHLDR003 VIKASH KUMAR RAI A.C.GARHWA 59 - अन्य व्यय	11,191,500.00 रुपये एक करोड़ ग्यारह लाख दस हजार पांच सौ
2	S 39 22458010201000759 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 80 - सामान्य 102 - विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं 01 - विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध 00-NA 07 - अन्य व्यय Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	45278	SDGDAD014 KANCHAN SINGH DY.COMMISSIONER, SIMDEGA 59 - अन्य व्यय	11,032,500.00 रुपये एक करोड़ दस लाख बीस हजार पांच सौ

योग:

रुपये दो करोड़ बाइस लाख चौदस हजार

22,224,000.00

क्रमिक योग:

(VIPRA BHAI)
SECRETARY